



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229878
CG-DL-E-23092021-229878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3601]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 22, 2021/भाद्र 31, 1943

No. 3601]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 22, 2021/BHADRA 31, 1943

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2021

का.आ. 3925(अ).—केंद्रीय सरकार, रसायनिक आयुध अभिसमय अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1490(अ), तारीख 13 सितंबर, 2006, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“1 श्री मनोज कुमार परिदा - अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण रसायनिक आयुध अभिसमय।”

[फा. सं. सी-I-40015/4/2020-रसा.I-सीपीसी]

समीर कुमार विश्वास, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), में संख्यांक का. आ. 1490 (अ), तारीख 13 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का. आ. 1619 (अ), तारीख 6 अप्रैल, 2021 द्वारा उसका अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Chemicals and Petrochemicals)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th September, 2021

S.O. 3925(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the Chemical Weapons Convention Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) vide number S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification, for serial number 1 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

" 1. Shri Manoj Kumar Parida - Chairperson, National Authority Chemical Weapons Convention."

[F. No. C-I-40015/4/2020-CHEM. I-CPC]

SAMIR KUMAR BISWAS, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II section 3 sub-section (ii) *vide* number S.O. 1490(E), dated the 13th September, 2006 and last amended *vide* No. S.O. 1619 (E) dated the 6th April, 2021.